रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 946] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2017/अग्रहायण 2, 1939
No. 946] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2017/AGRAHAYANA 2, 1939

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1441(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मोबाइल फोन हैंडसेट में संत्रास बटन और वैश्विक स्थिति प्रणाली सुविधा नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सभी मोबाइल फोन हैंडसेट में संत्रास बटन और वैश्विक स्थिति प्रणाली सुविधा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सभी मोबाइल फोन हैंडसेट में संत्रास बटन और वैश्विक स्थिति प्रणाली सुविधा नियम, 2016 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**4. नए स्मार्ट मोबाइल हैंडसेट में वैश्विक स्थिति प्रणाली**.—1 जनवरी, 2018 से कोई भी स्मार्ट फोन हैंडसेट विनिर्माता कंपनी भारत में नए स्मार्ट मोबाइल फोन हैंडसेटों का विक्रय उपग्रह आधारित वैश्विक स्थिति प्रणाली के माध्यम से अवस्थिति की पहचान की सुविधा के बिना नहीं करेगी"।

[फा. सं. 16-04/2015-एएस-III]

अरविन्द चावला, उप महानिदेशक (एएस)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 436(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2017

G.S.R. 1441(E).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules to amend the panic button and Global Positioning System facility in mobile phone handsets Rules, 2016, namely:—

1. (i) These rules may be called the panic button and Global Positioning system facility in all mobile phone handsets (Amendment) Rules, 2017.

(ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Panic button and Global Positiong System facility in all mobile phone handsets Rules, 2016, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely.—

"**4. GPS in new smart mobile handset.—**With effect from the 1st January, 2018, no smart phone handset manufacturing company shall sell the new smart mobile phone handset in India without the facility of identifying the location through Satellite based GPS".

[F. No. 16-04/2015-AS-III]

ARVIND CHAWLA, DDG (AS)

Note : The principal was in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 436(E), dated the 22nd April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.